



निविदा खोलने की तिथि

सोनपुर मेला, 2016 के निविदा खोलने की तिथि

सोनपुर मेला, 2016 (दिनांक 12.11.16 से 13.12.16) में स्वास्थ्य कैम्प एवं स्टॉल फैंब्रिकेशन हेतु पंजीकृत एजेंसियों से मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। स्वास्थ्य कैम्प एवं स्टॉल का निर्माण व फैंब्रिकेशन का कार्य लगभग 4000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में होगा।

एक बड़े लिफाफे पर "सोनपुर मेला, 2016 हेतु निविदा" अंकित होनी चाहिए जिसके अंदर दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में वित्तीय एवं तकनीकी निविदा समर्पित की जानी है।

निविदा संबंधी पात्रता, योग्यता, शर्तें इत्यादि की विस्तृत जानकारी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है। निविदा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नांकित तालिका में दृष्टव्य हैं:

प्री-बिड बैठक	29 सितम्बर 2016 को 11 बजे पूर्वाह्न
कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना – 14 के नाम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	17 अक्टूबर 2016 को अपराह्न 03 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	17 अक्टूबर 2016 को अपराह्न 04 बजे

सभी इच्छुक निविदादाता इस बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं। इच्छुक एजेंसी संलग्न पूर्ण पंडाल एवं मुख्य द्वार के डिजाईन को और अधिक आकर्षक बनाकर प्री-बिड समिति के समक्ष उपस्थापित कर सकती है ताकि डिजाईन को अत्यधिक रोचक बनाया जा सके।

सभी निविदाएँ (सभी आवश्यक अनुलग्नों सहित) राज्य स्वास्थ्य समिति, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14 में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 को अपराह्न 03 बजे तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदायें अस्वीकृत मानी जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता या उनके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

मात्र तकनीकी निविदा में सफल निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय निविदा खोले एवं मूल्यांकित किये जायेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का निर्णय अंतिम होगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा आपसी मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा किया जायेगा जो पटना के क्षेत्राधिकार में होगा।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

अल्पकालीन निविदा सूचना

1/11/2016 10:10:10 AM; 10/11/2016 10:10:10 AM

सोनपुर मेला, 2016 में दिनांक 12.11.16 से 13.12.16 तक लगभग 4000 वर्ग फीट क्षेत्रफल (जैसा मेला प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा) में स्टॉल के फ़ैब्रिकेशन हेतु पंजीकृत एजेंसियों से मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

एक बड़े लिफाफे पर "सोनपुर मेला, 2016 हेतु निविदा" अंकित होनी चाहिए जिसके अंदर दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में वित्तीय (संलग्न प्रपत्र Annexure-1 में) एवं तकनीकी निविदा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 17 अक्टूबर 2016 को अपराह्न 03 बजे तक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए तथा तकनीकी बिड को दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 को ही अपराह्न 04 बजे इच्छुक निविदादाताओं/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाना है।

1) तकनीकी निविदा वाले लिफाफे पर कवर 'ए' – "सोनपुर मेला, 2016 में स्टॉल फ़ैब्रिकेशन हेतु तकनीकी बिड" एवं

2) वित्तीय निविदा वाले लिफाफे पर कवर 'बी' – "सोनपुर मेला, 2016 में स्टॉल फ़ैब्रिकेशन हेतु वित्तीय बिड" अवश्य अंकित होनी चाहिए।

निविदादाताओं/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि प्री-बिड की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को पूर्वाह्न 11 बजे निधारित है। सभी इच्छुक निविदादाता/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि इस बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं। इच्छुक एजेंसी संलग्न पूर्ण स्टॉल/पंडाल एवं मुख्य द्वार के डिजाईन को और अधिक आकर्षक बनाकर प्री-बिड समिति के समक्ष अपने मंतव्यों सहित प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि स्टॉल को और अधिक दर्शनीय एवं रोचक बनाया जा सके।

तकनीकी बिड में निम्नांकित कागजातों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा मूल प्रति (जैसा नीचे शर्तों में वर्णित है) अवश्य संलग्न होना चाहिए जो कि निविदादाता एवं एजेंसी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा अनुक्रमणिका सहित सभी कागजातों पर पृष्ठ संख्या अवश्य अंकित होनी चाहिए –

1. एजेंसी को बिहार में सेवा कर तथा श्रम विभाग से निबंधित होना चाहिए।
2. एजेंसी को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परियोजना, मेला एवं प्रदर्शनी इत्यादि में कम-से-कम पाँच वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए। इस हेतु किसी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग द्वारा संतोषप्रद कार्य सम्पादित किए जाने से संबंधित प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की प्रति संलग्न की जानी है।
3. विगत तीन क्रमगत वर्षों यथा 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 का निविदादाता के नाम से दायर आयकर रिटर्न की मुहर सहित स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ तीन क्रमगत वित्तीय वर्षों यथा 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की Audited Report, Balance Sheet, Receipt & Payment, Trading and Profit & Loss, Income & Expenditure और अन्य वित्तीय ब्यौरा की स्व-अभिप्रमाणित छाया-प्रतियाँ भी समर्पित की जानी हैं। टर्नओवर के मामले में सिर्फ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।
4. विगत तीन क्रमगत वित्तीय वर्षों 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में न्यूनतम 05 लाख (पाँच लाख रुपये) का प्रति वर्ष वार्षिक टर्नओवर निविदादाताओं/एजेंसियों के स्वयं का होना चाहिए।
5. निविदादाता का PAN कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

6. किसी अन्य एजेंसी द्वारा संस्था को किसी भी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी विभाग अथवा लोक उपक्रम द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने का **ew 'ki Fl&i = t ks fd fufonk izdk ku dh frffk ds ckn fuxZ gks dks** संलग्न किया जाना है।
7. तकनीकी बिड के साथ अग्रधन राशि के रूप में ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये) का State Health Society, Bihar के नाम पर देय तथा पटना में भुगतये डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य है। अग्रधन राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. संयुक्त रूप से डाली गई निविदा (Joint Venture) पर विचार नहीं किया जायेगा।

l ku j eyk eavk kft r fd; s t kus dk k dh foj. kh %

LVW fuelZk@Qsczdk l af/kr vko'; d 'kUk : स्टॉल हेतु वांछित वस्तुओं/उपकरणों/साधनों/सुविधाओं इत्यादि की विवरणी निम्नवत् है :-

- 1) **LVW@iMy vPNku dk {k-Qy %** वाटर प्रूफ सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण सम्पूर्ण क्षेत्रफल (लगभग 4000 वर्ग फीट) पर किया जाना है।
- 2) **LVW@iMy , oaeq; }kj dk fMt kbZ%**
 - (क) वाटर प्रूफ स्टॉल/पंडाल का संलग्न डिजाईन के अनुसार निर्माण लगभग 4000 वर्ग फीट पर एवं संलग्न डिजाईन के अनुसार स्टॉल के मुख्य द्वार का निर्माण किया जाना है।
 - (ख) प्री-बिड की बैठक में मुख्य द्वार तथा पूर्ण पंडाल के डिजाईन में संशोधन करने का यदि निर्णय लिया जाता है तो संशोधित डिजाईन के अनुसार संपूर्ण निर्माण कार्य किया जाना होगा।
- 3) **LVW@iMy dk vk/kjHw l j puk , oal kt & l Tt k dh l epr Q oLFW%**
 - (क) स्टॉल/पंडाल में 10 फीट X 10 फीट आकार के कुल आठ कमरों का निर्माण किया जाना है एवं इसकी उंचाई 08 फीट होगी। इन कमरों में पूर्ण मेला अवधि तक विभिन्न चिकित्सकीय विभागों से संबंधित वहिरंग संचालित किया जाना है। सभी कमरों को चमकदार नये एल्युमीनियम फ्रेम पर शीशा फिटिंग सहित फैंब्रिकेशन किया जाना है। एल्युमीनियम के सभी नए फ्रेम तथा सभी शीशे साफ एवं बिना किसी दाग धब्बे के होने चाहिए।
 - (ख) मेला शिविर परिसर में स्टॉल/पंडाल के अग्र भाग पर संलग्न डिजाईन के अनुरूप एक एकजीबीशन (प्रदर्शनी) हॉल भी बनाया जाना है जिसमें रिसेप्शन, पंजीकरण काउन्टर, पैम्फलेट वितरण काउन्टर इत्यादि का निर्माण भी किया जाना है। एकजीबीशन हॉल में प्रदर्शनी हेतु जो भी सामग्री संस्थापित की जायेगी उसे डिजिटल पलैक्स में मुद्रित करा कर फ्रेम पर माउन्ट (mount) कर प्रदर्शनी की अन्दरुनी दिवालों पर राज्य स्वास्थ्य समिति के निदेशानुसार संस्थापित किया जाना है।
 - (ग) स्टॉल/पंडाल के पिछले भाग पर आठ शैया (बेड) का एक अस्थाई इंडोर अस्पताल का निर्माण भी संलग्न डिजाईन के अनुसार किया जाना है। इस कमरे में एक वाश बेसिन, रोगियों के लिये अस्पताल वाले आठ बेड जो कि बेड कुशन, साफ-सफेद बेड-शीट एवं कम्बल के साथ लगाया जाना है। सभी बेड के ऊपर एक पंखा, बगल में आई०वी० स्टैन्ड, बेड साईड रैक इत्यादि की व्यवस्था भी की जानी है। सभी बेड, आई०वी० स्टैन्ड, बेड साईड रैक इत्यादि को संस्थापित करने से पूर्व सफेद रंग से पेन्ट किया जाना अनिवार्य है।
 - (घ) उपयुक्त स्थल पर 10 फीट X 04 फीट आकार का एक स्टोर का निर्माण भी किया जाना है जिसमें उपयोग में आने वाली सामग्रियों एवं दवाओं के सुरक्षित संधारण हेतु शिविर के प्रभारी द्वारा उपयोग किया

जाना है। इसमें दो आलमीरा एवं तीन फीट ऊँचे एवं चार फीट लम्बे दो रैक जिनमें चार खाने हों, को भी उपलब्ध कराया जाना है।

(ड) स्टॉल में 15 X 15 फीट आकार का अतिथि गृह भी बनवाना होगा जिसमें नए फर्नीचर यथा 2 गद्देदार सेट सोफा सेट, एक रेफ्रीजिरेटर, दो एयर कंडीशनर, दो शीशे वाले सेन्टर टेबुल, टी०वी० सेट, एक बड़ा ड्रेसिंग टेबुल, वाश बेसिन इत्यादि की व्यवस्था की जानी है। इसमें समुचित लाईटिंग की व्यवस्था की जानी है।

(च) स्टॉल के पिछले भाग में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों हेतु समुचित जल की व्यवस्था, दो वाश बेसिन, हाथ धोने हेतु साबुन सहित अस्थाई शौचालय का निर्माण भी किया जाना है।

(छ) पूरे स्टॉल के फर्श पर ईट एवं बालू से सतह को समतल कर प्लाईवुड (24 mm) बिछाया जाना है। साथ ही सम्पूर्ण फर्श पर साफ-सुथरा कारपेट बिछाया जाना है।

(ज) स्टॉल/पंडाल में सभी अन्दरूनी दीवालें प्लाईवुड की होनी चाहिए जिसपर पेन्ट किया जाना है। सभी कमरों की दीवारों पर size 6'X3' अथवा जो आकार उपयुक्त हो, का विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित प्रचार सामग्री डिजिटल पलेक्स पर मुद्रित करवाकर संस्थापित कराया जाना है। सामग्री का प्रारूप राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार तथा सिविल सर्जन/राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के निदेशानुसार मेला शिविर के अन्दर एवं मुख्य द्वार पर भी उपयुक्त आकार का डिजिटल पलेक्स मुद्रित करवाकर आवश्यकतानुसार जगह-जगह पर लगाया जाना है। दीवारों को आवश्यकतानुसार उपयुक्त रंग का कपड़ा/झालर इस्तेमाल कर सजाना भी है।

(झ) पूरे स्टॉल में विभिन्न प्रकार के फूलों के 100 रंगीन एवं सुसज्जित गमलों से सजावट भी की जानी है। सभी गमलों को गेरू से रंगा जाना है।

4) ~~LVW@iMy grqmi dj. k@oLryk@l fo/kvkdh foj. k%~~

(क) सभी कमरों में चिकित्सकों के लिए टेबुल, प्रति कमरा तीन-तीन कुर्सी, पंखा, बल्ब/ट्यूब लाईट, रोगियों के परीक्षण हेतु लगभग 5-6 फीट X 2.5 फीट का टेबुल, सभी टेबुलों पर साफ सफेद चादर, सभी कमरों के दरवाजों पर पर्दा, सभी कमरों में कचरा फेंकने हेतु प्लास्टिक की बाल्टी इत्यादि की व्यवस्था की जानी है। इसके अलावा 25 अतिरिक्त कुर्सियाँ एवं दस टेबुल (साईज़ 2.5 X 4 फीट) की व्यवस्था भी मेला शिविर हेतु की जानी है।

(ख) स्टॉल परिसर में बड़े आकार का एल०सी०डी० प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन (जो स्थल के अनुसार उपयुक्त हो) की व्यवस्था भी की जानी है। एल०सी०डी० प्रोजेक्टर को छत से लटका कर उससे स्क्रीन पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित फिल्म दिखाई जानी है। साथ ही दर्शाई जाने वाली फिल्मों के audio को समुचित ढंग से प्रसारित करने के लिये स्पीकर सिस्टम की व्यवस्था भी की जानी है।

(ग) एकजीबीशन (प्रदर्शनी) हॉल में रिसेप्शन, पंजीकरण काउन्टर, पैम्फलेट वितरण काउन्टर इत्यादि हेतु समुचित मात्रा में सीलिन्ग पंखा, टेबुल, कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था की जानी है।

(घ) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित उपलब्ध कराये गए लगभग आठ डिजाईनों, प्रत्येक का आठ-आठ हजार प्रति रंगीन हैन्डबिल मुद्रित कराकर स्टॉल में प्रतिदिन स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से वितरण हेतु स्टॉल प्रभारी को उपलब्ध कराया जाना है।

(ङ) स्टॉल परिसर में उपयुक्त स्थान पर छः ऑटोमैटिक एयर फ्रेशनर संस्थापित किया जाना है।

5) fct yh dh l efr Q oLFK%

- (क) स्वास्थ्य विभाग के शिविर हेतु जेनेरेटर (POL के साथ) जो कि पूरे शिविर एवं उसमें लगाए उपकरणों का लोड लेने में सक्षम हो, की व्यवस्था भी की जानी है। स्टॉल परिसर में बिजली की निर्बाद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जानी है।
- (ख) मुख्य द्वार पर छोटे-छोटे रंगीन आकर्षक बल्बों से सजावट कर रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था की जानी है।
- (ग) सम्पूर्ण स्टॉल परिसर में तथा स्टॉल के भीतर निर्मित सभी कमरों में तथा स्टॉल के मुख्य द्वार पर ट्यूब लाईट सी.एफ.एल. लैम्प, एल.ई.डी. लाईट एवं हैलोजन लाईट के माध्यम से प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जानी है।
- (घ) एकजीबीशन हॉल में डिजिटल फ्लैक्स में मुद्रित एवं फ्रेम पर माउन्ट किये गये (mount) लगभग 10 पैनल की व्यवस्था करनी होगी जिस हेतु लाइट सिस्टम इत्यादि की व्यवस्था भी की जानी है। एकजीबीशन हॉल में प्रदर्शनी हेतु जो भी सामग्री संस्थापित की जायेगी, प्रत्येक पर एक स्पॉट लाईट से रोशनी की व्यवस्था की जानी है।

6½ l kQ&l QkZ l j{k bR; kfn dh Q oLFK%

- (क) प्रत्येक दिन कम से कम तीन बार सभी शीशों, कारपेट सहित सम्पूर्ण स्टॉल परिसर की सफाई एवं कचरा फेंकने की व्यवस्था की जानी है।
- (ख) राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के स्टॉल में चार-चार सुरक्षा प्रहरियों (ड्रेस में) की प्रतिदिन सम्पूर्ण 24 घण्टे हेतु व्यवस्था की जानी है।

7½ is ty@ty , oaukrk bR; kfn dh Q oLFK%

- (क) स्टॉल में सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों हेतु पेय जल की व्यवस्था। स्टॉल में प्रतिदिन 25-25 लीटर के मिनरल वॉटर के 3 जार, डिस्पेन्सर एवं समुचित मात्रा में कागज़ के डिस्पोजेबल गिलासों की व्यवस्था भी की जानी है। साथ ही हाथ धोने इत्यादि हेतु सामान्य जल की भी पर्याप्त व्यवस्था स्टॉल में होनी चाहिए।
- (ख) स्टॉल में सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों हेतु प्रति व्यक्ति ₹ 50/- (पचास रुपये) की दर से सिविल सर्जन सारण/शिविर प्रभारी के मार्गदर्शननुसार प्रतिदिन शिविर अवधि के दौरान अधिकतम 25-25 (पच्चीस) पैकेट नास्ता (चाय सहित) प्रति शिफ्ट व्यवस्था भी की जानी है।

fufonk ds vU; egRbi wZfu; e@'kUk%

1. स्टॉल/पंडाल का निर्माण एवं साज-सज्जा मेला में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं उनके स्तर से प्रतिनियुक्त नामित नोडल पदाधिकारी/अन्य सक्षम प्राधिकार एवं संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव/अ०श०चि० सह मु० चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा नामित मेला प्रभारी के मार्गदर्शन में किया जाना है। इनके निदेशानुसार यदि स्टॉल फेब्रिकेशन में आंशिक संशोधन का सुझाव दिया जाता है तो उसके अनुरूप कार्य सम्पन्न किया जाना है।
2. संस्थापित स्टॉल/पंडाल में किसी भी सामग्री के टूटने-फूटने (damage) पर एजेन्सी के व्यय पर उसे replace/repair किया जाना है।
3. मेला की समाप्ति के दस दिन के भीतर सभी फ्लैक्स, फ्रेम पर mount किए गए फ्लैक्स, बचे हुए हैन्डबिल एवं अन्य सामग्री को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में संबंधित एजेन्सी द्वारा लौटा देना होगा। शेष बची हुई सामग्री एजेन्सी वापस ले जा सकती है।

4. उक्त स्टॉल के उद्घाटन एवं संचालन पर होने वाले समस्त व्यय का वहन संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाना है तथा इसके लिए कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
5. भुगतान हेतु शिविर प्रभारी के द्वारा एक प्रमाण पत्र एजेंसी को प्राप्त करना होगा कि निविदा में निर्धारित नियम/शर्तों के अनुरूप सभी कार्य सम्पन्न किया गया है।
6. सम्पूर्ण स्टॉल/पंडाल के फ़ैब्रिकेशन की व्यवस्था दिनांक 11 नवम्बर 2016 तक पूर्ण कर लिया जाना है। बेवजह इसके पश्चात् विलंब होने पर विपत्र मूल्य से आनुपातिक कटौती भी की जा सकती है।
7. सेवा/कार्य में त्रुटि होने पर न्यूनतम 5 प्रतिशत से अधिकतम 20 प्रतिशत तक की कटौती विपत्र भुगतान के समय की जाएगी, जो वस्तुतः त्रुटि के अनुरूप एवं मेला प्रभारी के प्रतिवेदन के अनुसार तथा कार्यपालक निदेशक के निर्णय के आलोक में होगा।
8. यदि चयनित एजेंसी निविदा के नियम/शर्तों के अधीन कार्य प्रारंभ करने/उसके क्रियान्वयन में असमर्थता जताती है अथवा कार्य में असफल होता है, तो वैसी परिस्थिति में उसके द्वारा समर्पित अग्रधन राशि को जब्त किया जा सकता है।
9. सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन के उपरांत संबंधित एजेंसी द्वारा समर्पित विधिवत् विपत्र (संबंधित कार्य से संबंधित न्यूनतम 30 फोटोग्राफ्स की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति सहित) के आलोक में नियमानुकूल भुगतान किया जायेगा। स्टॉल/पंडाल के निर्माण एवं संचालन में कमी पाये जाने पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं स्टॉल प्रभारी, जिला स्वास्थ्य समिति, सारण के अनुशंसानुसार आनुपातिक कटौती भी की जा सकती है।
10. विपत्र भुगतान के समय विपत्र राशि पर देय वैधानिक TDS एवं अन्य उपयुक्त कर की कटौती की जाएगी।
11. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं एजेन्सी के मध्य इस निविदा के तहत होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में निर्णयार्थ प्रेषित किया जाएगा एवं प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

Annexure-1 (Financial Bid Format)

foUkr fufonk grqfu/WZjr iā = %इच्छुक एजेन्सियाँ जो दर उद्धृत करेंगी तो उसके अन्त में मेला अवधि में स्टॉल का निर्माण/फ़ैब्रिकेशन, उसके उद्घाटन एवं संचालन में होने वाले कुल व्यय को जोड़ कर निम्नांकित तालिकानुसार सभी प्रकार के उपयुक्त करों सहित विहित प्रपत्र में एकमुश्त दर उद्धृत करेंगे। अन्य प्रपत्र में डाली गयी वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्टॉल निर्माण/फ़ैब्रिकेशन व उसके संचालन हेतु क्रम संख्या 01 से 07 में निर्धारित सभी शर्तों के विभिन्न अंशों हेतु तथा निविदा के अन्य महत्वपूर्ण नियम/शर्तों हेतु (उपयुक्त करों के साथ) एकमुश्त उद्धृत दर	शब्द एवं अंक (रूपये) में
---	-----------------------------------